(219)

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प उज्जैन [म०प्र०]

प्रकरण क्रमांक /95 निगरानी

RM12-1) A/843/95

राजकुमार बाकलीवाल पिता फूलचन्द जी, आयु 48 वर्ष, निवासी सोनकच्छ जिला देवास ......प्रार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन व्दारा खनिज निरीक्षक देवास ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० बनाम श्रीमान अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के पारित आदेश दिनांक 22/8/95 एवं 26/8/95 प्र०क्र० 148/92-93 अपील.

Presented by Shri M. Kazi, Advocate along with another application on similar order against orders of same dates in case 147/92-93 by Add. Commissioner.

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नांकित निगरानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत है:

:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::

यह कि, प्रार्थी ने न्यायालय कलेक्टर जिला देवास व्दारा प्रदत्त निर्णय दि० 30/12/92 जो प्रकरण क्रमांक 62-अ67/91-92 से असन्तुष्ट होकर एक अपील दि० 11/2/93 को माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें स्थगन आज्ञा बाबत निवेदन किया था किन्तु प्रार्थी को यह निर्देशित किया कि अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त होने पर स्थगन आवेदन पत्र विचार किया जावेगा ।

2- यह कि, दि० 11/2/93 से आज दिनांक तक अधिनस्थ योग्य न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है और अपीलान्ट के विरुद्ध तहसील न्यायालय सोनकच्छ से वसूली बाबत कार्यवाही शुरू हो गयी है और मांग का सूचना पत्र भेजकर कुर्की वारन्ट का आदेश भी हो गया है ।

3- यह कि, बिना किसी आधार के प्रार्थी को संहिता की धारा 247[7] के अधीन दोषी ठहराया गया है और 10,200/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है । प्रार्थी के समक्ष खनिज निरीक्षक ने न ही कोई पंचनामा बनाया और न ही कोई सूचना दी और न ही खनिज निरीक्षक मौके पर उपस्थित हुए और बस स्टेण्ड सोनकच्छ पर बैठकर साक्षियों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये जहां रेत का ढेर होना बताते हैं, वह बस स्टेण्ड से डेढ़ दो किलो मीटर दूरी पर है । इस प्रकार असत्य आधारों पर राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-849/1995

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 23-02-2001 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेन्द्र चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	